प्रारुप–2

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा

पत्रांक संख्या/ 15273 /2020–21 दिनांक– 25/03/2021

प्रबन्धक,
विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल,
नगर क्षेत्र, बांदा
अंग्रेजी माध्यम कक्षा–01 से 05 तक।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 02.05.2019 के आवेदन और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, **विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नगर क्षेत्र, बांदा** को तारीख ***01.04.2021*** से तारीख ***31.03.2022*** तक ***कक्षा 01 से कक्षा 05 तक*** के लिये प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये औपबन्धिक अस्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रुप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे), उस कक्षा में बालको की संख्या के ***25 प्रतिशत*** तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः
   - (i) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
   - (vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
   - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और
   - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेगें।

(क्रमशः पेज 02 पर)

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–
   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
   कुल निर्मित क्षेत्र।
   क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल।
   कक्षाओ की संख्या।
   प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिये कक्ष।
   बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय।
   पेयजल सुविधा।
   मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई।
   बधारहित पहुंच।
   अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपल्ब्धता।
9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजनों के लिये किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या ***J(A-2021)-01*** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के देय अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध 'क' के अनुसार कोई शर्त।
18. सम्बन्धित विद्यालय को इस प्रतिबंध के साथ मान्यता निर्गत की जा रही है की शासनादेश में निहित शर्तो के आधार पर यदि कोई तथ्य छिपाये गये है अथवा संज्ञान मे नही लाया गया है तो निर्गत मान्यता आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।

(हरिश्चन्द्र नाथ)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा

Scanned by CamScanner

प्रारुप–2

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा

पत्रांक संख्या / 12307 / 2020–21 दिनांक– 27/02/2021

प्रबन्धक,
विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल,
नगर क्षेत्र, बांदा
अंग्रेजी माध्यम कक्षा–06 से 08 तक।

विषय– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।**

आपके तारीख 02.05.2019 के आवेदन और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, **विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, नगर क्षेत्र, बांदा** को तारीख ***01.03.2021*** से तारीख ***28.02.2022*** तक *कक्षा 06 से कक्षा 08 तक* के लिये प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये औपबन्धिक अस्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों / शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रुप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे), उस कक्षा में बालको की संख्या के ***25 प्रतिशत*** तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः
   - (i) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (v) अधिनियम के उपबध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
   - (vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
   - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और
   - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेगें।

(क्रमशः पेज 02 पर)

Scanned by CamScanner

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
कुल निर्मित क्षेत्र।
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल।
कक्षाओ की संख्या।
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिये कक्ष।
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय।
पेयजल सुविधा।
मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई।
बधारहित पहुंच।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजनों के लिये किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या ***P(A-2021)-01*** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के देय अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध 'क' के अनुसार कोई शर्त।
18. सम्बन्धित विद्यालय को इस प्रतिबंध के साथ मान्यता निर्गत की जा रही है की शासनादेश में निहित शर्तो के आधार पर यदि कोई तथ्य छिपाये गये है अथवा संज्ञान मे नही लाया गया है तो निर्गत मान्यता आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।

(हरिश्चन्द्र नाथ)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा